रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 583] नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2005/ज्येष्ठ 18, 1927
No. 583] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2005/JYAISTHA 18, 1927

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2005

का. आ. 794(अ).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) 10 जून, 2003 से प्रवृत्त हुआ है;

और अधिनियम की धारा 7 यह उपबंध करती है कि कोई भी उत्पादन कंपनी इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केंद्र की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव कर सकती है यदि वह धारा 73 के खंड (ख) में निर्दिष्ट ग्रिड के संयोजन से संबंधित तकनीकी मानकों के अनुरूप है;

और अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी उत्पादन कंपनी के कर्तव्य इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उत्पादन केंद्रों, जोड़ लाइनों, उपकेंद्रों और उनसे जुड़ी समर्पित पारेषण लाइनों की स्थापना, उनका प्रचालन और रखरखाव करना होगा;

और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति कैप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्र और समर्पित पारेषण लाइनों का संनिर्माण, अनुरक्षण अथवा प्रचालन कर सकेगा;

और अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (16) के अनुसार एक समर्पित पारेषण लाइन, यथास्थिति, कैप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्र अथवा विद्युत उत्पादक केंद्र को किसी भी पारेषण लाइन अथवा उपकेंद्रों अथवा विद्युत उत्पादन केंद्रों अथवा भार केन्द्रों से जोड़ने के लिए किसी बिंदु से बिंदु पारेषण हेतु एक विद्युत प्रदाय लाइन है;

और ऐसी समर्पित पारेषण लाइन अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (72) के अनुसार न तो एक पारेषण लाइन है और न ही अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (19) के अनुसार उपभोक्ता की अधिष्ठापना तक कनेक्शन बिन्दु को जोड़ने वाली एक वितरण प्रणाली है;

और एक समर्पित पारेषण लाइन की स्थापना करने, प्रचालन करने अथवा उसका रखरखाव करने के लिए एक पारेषण अनुज्ञप्ति की आवश्यकता के संबंध में कठिनाईयां उद्भूत हुई है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 183 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, एक समर्पित पारेषण लाइन की अधिष्ठापना करने, प्रचालन करने अथवा उसका रखरखाव करने के संबंध में, कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विद्युत (कठिनाई को दूर करना) (पांचवा) आदेश 2005 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. समर्पित पारेषण लाइनों की अधिष्ठापना, प्रचालन अथवा अनुरक्षण

एक कैप्टिव विद्युत उत्पादक संयंत्र की स्थापना करने वाले व्यक्ति अथवा एक विद्युत उत्पादक कंपनी को एक समर्पित पारेषण लाइन की अधिष्ठापना करने, प्रचालन करने अथवा अनुरक्षण करने के लिए अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा यदि ऐसी कंपनी अथवा व्यक्ति निम्नलिखित का अनुपालन करता है;

(क) ग्रिड कोड और ग्रिड संयोजकता के मानक ।
(ख) विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक ।
(ग) संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) अथवा क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) के प्रणाली प्रचालन के संनियमों के अनुसार ऐसी समर्पित पारेषण लाइन की प्रचालन प्रणाली; और
(घ) समर्पित पारेषण लाइन के प्रचालन के बारे में संबंधित एसएलडीसी अथवा आरएलडीसी के निर्देश ।

[फा. सं. 25/25/2004-आर एंड आर]
अजय शंकर, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 8th June, 2005

S.O. 794(E).—Whereas the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (hereinafter referred to as the Act), came into force on the 10th June, 2003;

And whereas section 7 of the Act provides that any generating company may establish, operate and maintain a generating station without obtaining a licence under this Act if it complies with the technical standards relating to connectivity with the grid referred in clause (b) of section 73;

And whereas sub-section (1) of section 10 of the Act provides that subject to the provisions of this Act, the duties of a generating company shall be to establish, operate and maintain generating stations, tie-lines, sub-stations and dedicated transmission lines connected therewith in accordance with the provisions of this Act or the rules or regulations made thereunder;

And whereas sub-section (1) of section 9 of the Act provides that notwithstanding anything contained in this Act, a person may construct, maintain or operate a captive generating plant and dedicated transmission lines;

And whereas a dedicated transmission line in terms of sub-section (16) of section 2 of the Act is an electrical supply line for point-to-point transmission for connecting a captive generating plant or a generating station to any transmission line or sub-stations or generating stations or the load centre, as the case may be;

And whereas such a dedicated transmission line is neither a transmission line in terms of sub-section (72) of section 2 of the Act nor it is a distribution system connecting the point of a connection to the installation of consumer in terms of sub-section (19) of section 2 of the Act;

And whereas difficulties have arisen regarding the requirement of a transmission licence for establishing, operating or maintaining a dedicated transmission line;

Now, therefore, the Central Government in exercise of its powers conferred by section 183 of the Act hereby makes the order in respect of establishing, operating or maintaining a dedicated transmission line, not inconsistent with the provisions of the Act, to remove the difficulties, namely;

1. Short title and commencement.-

(1) This order may be called the Electricity [Removal of Difficulty] (fifth) Order, 2005.

(2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. Establishment, operation or maintenance of dedicated transmission lines.-

A generating company or a person setting up a captive generating plant shall not be required to obtain license under the Act for establishing, operating or maintaining a dedicated transmission line if such company or person complies with the following:

(a) Grid code and standards of grid connectivity;

(b) Technical standards for construction of electrical lines;

(c) System of operation of such a dedicated transmission line as per the norms of system operation of the concerned State Load Despatch Centre (SLDC) or Regional Load Despatch Centre (RLDC).

(d) Directions of concerned SLDC or RLDC regarding operation of the dedicated transmission line.

[F. No. 25/25/2004-R&R]

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.